Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official



**अपीडी/टीए/4182/2002/बांसवाडा**

1 रतना पुत्र रामेंग जाति पटेल
2 माधवजी पुत्र रामेंग जाति पटेल
3 हीरजी पुत्र कालिया जाति पटेल
4 खेमजी पुत्र डेगर
5 कूरिया पुत्र हलिया
6 जितेंग पुत्र हूरता
7 रतनजी पुत्र देवेंग जाति पटेल
8 नाथू पुत्र वेलजी जाति पटेल
9 गोकुल पुत्र रूपा जाति पटेल
10 रामेंग पुत्र लवजी जाति पटेल
11 विटठल पुत्र राजेंग जाति पटेल
12 लवजी पुत्र मोगजी जाति पटेल
13 जीवा पुत्र हकरू जाति भील
14 कोदरजी पुत्र रामेंग जाति पटेल
15 होमजी पुत्र हकरू जाति भील
16 कोदरा पुत्र धनजी जाति पटेल
17 हामिंग पुत्र नाथू जाति पटेल
18 जितेंग पुत्र माधवजी जाति पटेल
19 मेधा पुत्र ताजेंग जाति पटेल
20 हामिंग पुत्र प्रेमा जाति पटेल
21 देवेंग पुत्र प्रेमा जाति पटेल
22 गेवा पुत्र रसिया जाति पटेल
23 वेलजी पुत्र नाथा जाति पटेल
24 लवजी पुत्र कुबेर जाति पटेल
25 नाथजी पुत्र वेलजी जाति पटेल
26 रणछोर पुत्र कोकलजी जाति पटेल
27 सवजी पुत्र जितेंग जाति पटेल
28 शंकर पुत्र रामेंग जाति भील
29 कालिया पुत्र पूंजा जाति चमार
30 मडिया पुत्र कालिया जाति चमार
31 खेमला पुत्र कालिया जाति चमार
32 भेजा पुत्र वेजली जाति भील
33 जीवा पुत्र हकरू जाति भील
34 इच्छाशंकर पुत्र कचरू जाति दरजी
35 केवजी पुत्र रामेंग जाति पटेल
36 प्रेमा पुत्र जीवा जाति भील
37 हिरजी पुत्र रूपेंग जाति भील
38 कन्हैया पुत्र जितेंग जाति भील
39 नाथू पुत्र कोदर जाति भील

40 सुखलाल पुत्र कोदर जाति दरजी
41 भुरिया पुत्र धुलिया जाति चमार
42 भेमजी पुत्र धुलिया जाति चमार
43 तोलाचन्द पुत्र खेमचन्दजी जाति दरजी
44 गोतम पुत्र नमेराम
45 देवेंग पुत्र नाथा जाति पटेल
46 वक्ता पुत्र ताजेंग जाति पटेल
47 कोदर पुत्र पेमा जाति पटेल
48 रूपजी पुत्र लवजी जाति पटेल
49 हीरा पुत्र मेगजी जाति पटेल
50 वेजली पुत्र नाथा जाति पटेल
51 गोनजी पुत्र लवजी जाति पटेल
52 धनजी पुत्र लवजी जाति पटेल समस्त निवासी सुवाला तहसील बागीदोरा जिला बांसवाडा

अपीलार्थीगण

बनाम

कालिया पुत्र हीरा जाति पटेल निवासी सुवाला पूर्व अध्यक्ष सामूदायिक कृषि सहकारी समिति मिमिटेड सुवाला तहसील बागीदोरा जिला बांसवाडा

प्रत्यर्थी

**खण्ड पीठ**
**श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष**
**श्री मोडूदान देथा, सदस्य**

उपस्थितः श्री वी.एस.राठोड वकील अपीलार्थीगण
श्री जे.के.पन्त वकील प्रत्यर्थी

**निर्णय**

**दिनांकः.4.4.18**

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बांसवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 25/2001 में पारित निर्णय दिनांक 4.5.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी प्रत्यर्थी ने एक वाद धारा 188 व 209 अधिनियम के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सुवाला में सामुदायिक कृषि सहकारी समिति बनी थी जिसका पंजियन क्रमांक/222 दिनांक 19.12.59 था एवं अध्यक्ष वादी कालिया पुत्र हीरा पटेल निवासी सुवाला रहा है। उक्त समिति को कृषि भूमि के आवंटन के पश्चात खातेदारी अधिकार वादी कालिया को प्राप्त हो चुके हैं जो खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत समाप्त नहीं किये गये हैं। किन्तु उक्त समिति माह अप्रेल, 1981 में समाप्त हो गयी थी। इस उपरोक्त समिति का वादी एक मात्र खातेदार कृषक है एवं वादी का आधिपत्य वैधानिक रूप से सही है। मौजा सुवाला की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 645, 647, 659, 649, 662, 670, 778, 812, 921, 979, 2018, 1020, 933 कुल किता 13 कुल रकबा 210 बीघा 9 बिस्वा भूमि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में है। राज्य सरकार में लगान अदाकरता है। प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण का इस भूमि से कोई संबंध नहीं हैं परन्तु वे आये दिन वादी कालिया को उक्त आराजी से अवैध रूप से हस्तक्षेप करते हैं एंव शांतिपूर्वक काश्त नहीं करने देते हैं तथा अतिक्रमण करने की धमकी देते हैं। अतः प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। प्रतिवादीगण ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित कुल 5 तनकियात कायम की एवं निर्णय दिनांक 8.3.2001 से वादी का वाद खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध वादी प्रत्यर्थी ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बांसवाडा के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 4.5.2002 से अपील स्वीकार कर वादी का वाद डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि वादी प्रत्यर्थी ने अपने वाद में स्वंय ने यह स्वीकार किया है कि सामुदायिक कृषि सहकारी समिति सुवाला अप्रेल, 1981 में भंग हो गई। समिति के भंग होने के बाद समिति के अध्यक्ष के सभी अधिकार स्वतः ही समाप्त हो गये एवं पूर्व अध्यक्ष कालिया अपने आप में कोई स्वत्व अधिकार नहीं रखता है। विचारण न्यायालय ने तनकीवार विवेचन कर वादी का वाद साबित नहीं होने से एवं वादी कालिया समिति भंग होने के बाद खातेदार नहीं रहने से वाद खारिज किया है। परन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भंग सोसायटी का अध्यक्ष होने के आधार पर अपील स्वीकार की है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है। समिति भंग होने पर उसका अध्यक्ष के अधिकार भी समाप्त हो गये थे एवं समिति व अध्यक्ष विवादित भूमि के खातेदार नहीं रहे। स्थाई निषेधाज्ञा का वाद केवल खातेदार

कृषक ही ला सकते हैं। विवादित भूमि पर वादी प्रत्यर्थी का कब्जा काश्त नहीं है बल्कि समिति के सदस्य अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त है जिनके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से यह अपील स्वीकार की जावे। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्को के समर्थन में 2003 आर.आर.टी. पेज 22, 2008 (एस.सी.) आर. आर.टी. पेज 301, 1985 आर.आर.डी. पेज 247, 2000 आर. आर.डी. पेज 306, 2011 आर.आर.टी. पेज 93 आदि न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित आराजीयात सामुदायिक कृषि सहकारी समिति अध्यक्ष कालिया को आवंटित की गई थी एवं कालिया अध्यक्ष के रूप में विवादित भूमि पर काबिज चला आ रहा है। यह समिति अप्रेल 1981 में भंग कर दी गई। परन्तु राजस्व अभिलेख में अभी भी वादी ही खातेदार अंकित है। प्रतिवादी अपीलार्थीगण का विवादित भूमि से कोई संबंध नहीं है एवं न ही उनका कब्जा काश्त है। परन्तु वे वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं। राजस्व अभिलेख में वादी खातेदार काश्तकार अंकित है तथा काबिज है जिससे वह स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधि अनुरूप है। जिससे यह अपील खारिज की जावे।

5. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. विचारण न्यायालय ने यह मानते हुए कि सामुदायिक कृषि सहकारी समिति सुवाला वर्ष 1981 में भंग हो गई तो समिति के भंग होने के साथ ही वादी के अधिकार समाप्त हो गये जिससे वर्तमान में वादी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं है तथा उसका विधिक कब्जा काश्त नहीं है तथा वादी को दावा लाने का कारण प्राप्त नहीं है। जिससे वादी का वाद खारिज किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह मानते हुए कि समिति अप्रेल 1981 में भंग हो गई जिससे अपीलार्थी का भी अधिकार नहीं है किन्तु रेस्पोडेंन्ट वर्तमान अपीलार्थीगण का भी कोई हक व अधिकार विवादित भूमि पर नहीं है। राज्य सरकार द्वारा विवादित भूमि के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं करती तब प्रत्यर्थी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करते हुए अपील स्वीकार कर निषेधाज्ञा जारी की है।

7. यह विवादित नहीं है कि भूमि सहकारी समिति को आंवटित थी। ऐसे आवंटन 1959 के एत्दनिमित नियमों के अन्तर्गत होते हैं। इन नियमों के नियम 5(4) के अनुसार समिति यदि विफल हो जाती है अथवा अवशायन में जाती है तो भूमि पुनर्ग्रहित होगी और

पुनर्ग्रहित कलक्टर द्वारा की जावेगी और यह बिना मुआवजे के होगी। ऐसी स्थिति मे उपखण्ड अधिकारी का निर्णय निष्कर्षतः और सारतः सही होने से स्थिर रखने योग्य है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने प्रकरण को इस नियम के सही आलोक में नहीं देखकर भूल की है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में ऐसी स्थिति का नियमों में प्रावधान किया हुआ था। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष अथवा समिति का कोई सदस्य अथवा अन्य कोई सोसायटी विफल हो जाने (भंग हो जाने) अथवा अवशायन में जाने की स्थिति में निषेधाज्ञा का कथन नहीं कर सकता है। सोसायटी को भूमि नियम 5(1) के अनुसार बीस वर्ष की लीज पर दी थी और सोसायटी के विकल्प पर आगामी बीस वर्ष हेतु नवीनीकरण प्रावधानित था। ऐसी स्थिति में सीमित अवधि हेतु विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था द्वारा कृषि हेतु प्रदत्त भूमि पर विहित अवधि के पश्चात काबिज काश्त नहीं रहा जा सकता है तथा निषेधाज्ञा का कथन नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है और उपरोक्तानुसार उपखण्ड अधिकारी का निर्णय सारतः एवं निष्कर्षतः यथावत रखा जाने योग्य है।

8. सोसायटी की भूमि पुनर्ग्रहित होने के पश्चात भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 20(3) के अन्तर्गत समुचित मामलों में कार्यवाही किया जाना प्रावधानित है। भूमि पुनर्ग्रहित होने के पश्चात की कार्यवाही इस वाद एवं अपील का विषय नहीं है। ऐसी स्थिति में उसके गुणावगुण पर यहां विचार करना अपेक्षित नहीं है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील स्वीकार की जाती है एवं भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बांसवाडा का निर्णय व डिक्री दिनांक 4.5.2002 निरस्त किये जाते हैं तथा उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ का निर्णय व डिक्री दिनांक 8. 3.2001 यथावत रखे जाते हैं।

10. इस निर्णय की एक प्रति जिला कलक्टर, बांसवाडा को भेजी जावे।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(मोडूदान देथा)**
**सदस्य**

**(वी.श्रीनिवास)**
**अध्यक्ष**

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत 2036 से 2039 प्रदर्श 1 में विवादित भूमि सामुहिक कृषि सहकार समिति लि0 सुवाला अध्यक्ष कालिया पिता हीरा पटेल अंकित हैं। स्वंय के वादी के अनुसार चूंकि यह समिति अप्रेल, 1981 में भंग हो गई। अतः जब समिति ही अप्रेल, 1981 में भंग हो गई तो वादी इसका अध्यक्ष ही नहीं रहा तथा वादी को इसके बाद कोई अधिकार ही नही रहे। जिससे वादी कालिया को विवादित भूमि का खातेदार कृषक नहीं माना जा सकता। विवादित भूमि पर वादी का कब्जा काश्त भी वैध कब्जा काश्त नहीं है। ऐसी स्थिति में दावा दायरी के दिन प्रत्यर्थी वादी विवादित भूमि का खातेदार काबिज काश्तकार नहीं रहा। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत केवल खातेदार ही अनुतोष प्राप्त कर सकता है। वादी खातेदार काबिज काश्तकार नहीं होने से स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं

कर सकता। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2003(1) आर.आर.टी पेज 22, 2008(1) आर. आर.टी. पेज 301 में प्रतिपादित सिद्धान्तों से हमारे उक्त मत को बल मिलता है।

8. प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील स्वीकार करने का आधार कि राज्य सरकार द्वारा वादग्रस्त आरजी के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है एवं वादग्रस्त भूमि की देख रेख करने के लिए किसी का होना आवश्यक है। अभिलेख में कालिया समिति का अध्यक्ष अंकित हैं, माना है जो अनुचित एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। यह स्पष्ट है कि समिति के भंग होने के बाद कालिया अध्यक्ष नहीं रहा एवं उसे कोई अधिकार विवादित भूमि बाबत नहीं रहे। जिससे वह स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता। राज्य सरकार विधिक प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही कर विवादित आराजीयात अधिग्रहित करने हेतु स्वतंत्र है। राज्य सरकार द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के आधार पर वादी प्रत्यर्थी को विवादित भूमि में अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से हम यह अपील स्वीकार करना उचित समझते हैं।